

::-अधिसूचना-::

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इससे संलग्न सूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम एवं प.ह.नं.	भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हे० में)	अधिनियम की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
01	02	03	04	05	06
मण्डला	बिछिया	बग्दनी रै. प.ह.नं.30	6.57	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास, संभाग क्र.2, मण्डला	हालौन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत बाईं तट मुख्य नहर के नयेगांव माइनर, बग्दनी माइनर, बग्दनी सबमाइनर 1, 2 एवं कोको माइनर 2 नहर हेतु
कुल			6.57 हे०		

1. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.mandla.nic.in, व मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट www.mprevenue.nic.in, पर भी देखी जा सकती है।

2. भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा०) बिछिया या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास, संभाग क्र.2, मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(प्रीति मैथिल नायक)

कलेक्टर मण्डला एवं पदेन उप सचिव,
म.प्र.शासन, राजस्व विभाग
मण्डला, दिनांक 10/01/2017

पृ. क./भू-अर्जन/ 2016-17/7 A
प्रतिलिपि:-

01. नियंत्रक, शासकीय मुद्रणालय अरेरा हिल्स, भोपाल को म.प्र.राजपत्र भाग-1 के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।
02. संचालक, सूचना तथा प्रकाशन विभाग, भोपाल को दो स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ प्रेषित। कृपया प्रकाशन उपरान्त एक-एक प्रति भेजने का कष्ट करें।
03. जिला सूचना अधिकारी मंडला (कलेक्टर एन.आई.सी. कक्ष) को शासकीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
04. कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास, संभाग क्र.2, मंडला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
05. अनुविभागीय अधिकारी (रा०) बिछिया को एक प्रति तहसील कार्यालय के नोटिस बोर्ड तथा एक प्रति संबंधित ग्राम पंचायत/ग्राम के सहजगोचर स्थान पर चरपा कराने हेतु प्रेषित।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

कलेक्टर मण्डला एवं पदेन उप सचिव,
म.प्र.शासन, राजस्व विभाग

:- अधिसूचना :-

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इससे संलग्न सूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम एवं प. ह.नं.	भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हे० में)	अधिनियम की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
01	02	03	04	05	06
मण्डला	बिछिया	टिकरिया रै. प.ह.नं.31	11.30	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास, संभाग क्रं.2, मण्डला	हालौन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत बाईं तट मुख्य नहर के कोको वितरक एवं टिकरिया रै. माइनर नहर हेतु
कुल			11.30 हे०		

1. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितवद्द किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.mandla.nic.in, व मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट www.mprevenue.nic.in, पर भी देखी जा सकती है।

2. भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा०) बिछिया या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास, संभाग क्रं.2, मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(प्रीति मैथिल नायक)

कलेक्टर मण्डला एवं पदेन उप सचिव,
म.प्र.शासन, राजस्व विभाग
मण्डला, दिनांक 10/01/2017

पृ. क./भू-अर्जन/ 2016-17/ 8 A
प्रतिलिपि:-

01. नियंत्रक, शासकीय मुद्रणालय अरेरा हिल्स, भोपाल को म.प्र.राजपत्र भाग-1 के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।
02. संचालक, सूचना तथा प्रकाशन विभाग, भोपाल को दो स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ प्रेषित। कृपया प्रकाशन उपरान्त एक-एक प्रति भेजने का कष्ट करें।
03. जिला सूचना अधिकारी मण्डला (कलेक्टर एन.आई.सी. कक्ष) को शासकीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
04. कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास, संभाग क्रं.2, मण्डला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
05. अनुविभागीय अधिकारी (रा०) बिछिया को एक प्रति तहसील कार्यालय के नोटिस बोर्ड तथा एक प्रति संबंधित ग्राम पंचायत/ग्राम के सहजगोचर स्थान पर चरसा कराने हेतु प्रेषित।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

कलेक्टर मण्डला एवं पदेन उप सचिव,
म.प्र.शासन, राजस्व विभाग

:-अधिसूचना:-

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इससे संलग्न सूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम एवं प. ह.नं.	भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हे० में)	अधिनियम की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
01	02	03	04	05	06
मण्डला	बिछिया	नयेगाँव रै. प.ह.नं. 30	6.01	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास, संभाग क्रं.2, मण्डला	हालौन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत नए गाँव माईनर, नए गाँव सब माईनर 1 एवं नए गाँव सब माईनर 2 नहर हेतु
कुल			6.01 हे०		

1. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.mandla.nic.in, व मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट www.mprevenue.nic.in, पर भी देखी जा सकती है।

2. भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा०) बिछिया या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास, संभाग क्रं.2, मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(प्रीति मेथिल नायक)

कलेक्टर मण्डला एवं पदेन उप सचिव,
म.प्र.शासन, राजस्व विभाग
मण्डला, दिनांक 10/01/2017

पृ. क्र./भू-अर्जन/ 2016-17/ 9 A
प्रतिलिपि:-

01. नियंत्रक, शासकीय मुद्रणालय अरेरा हिल्स, भोपाल को म.प्र.राजपत्र भाग-1 के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।
02. संचालक, सूचना तथा प्रकाशन विभाग, भोपाल को दो स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ प्रेषित। कृपया प्रकाशन उपरान्त एक-एक प्रति भेजने का कष्ट करें।
03. जिला सूचना अधिकारी मण्डला (कलेक्टर एन.आई.सी. कक्ष) को शासकीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
04. कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास, संभाग क्रं.2, मण्डला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
05. अनुविभागीय अधिकारी (रा०) बिछिया को एक प्रति तहसील कार्यालय के नोटिस बोर्ड तथा एक प्रति संबंधित ग्राम पंचायत/ग्राम के सहजगोचर स्थान पर चरपा कराने हेतु प्रेषित।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

कलेक्टर मण्डला एवं पदेन उप सचिव,
म.प्र.शासन, राजस्व विभाग